(8) विवरण संख्या 2—पांचवां सत्र, 1978
(9) विवरण संख्या 3—पांचवां सत्र, 1978

[*Placed in Library. See* No. LT-2927/78].

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 29th November, 1978, agreed without any amendment to the Britannia Engineering Company Limited (Mokameh Unit) and the Arthur Butler and Company (Muzaffarpore) Limited, (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st November, 1978."

12.02 hrs.

RE. CALLING ATTENTION NOTICE

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा): मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उत्तर प्रदेश में एक हरिजन लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है उसके बारे में मेरा जो कालिंग अटेंशन का नोटिस है उसको स्वीकार किया जाय। उस का न तो आपके आफिस से मुझे कोई जवाब आया है और न ही सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है। यह मामला बहुत ही सीरियस है और यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। 23 तारीख को मैंने यह कालिंग अटेंशन दिया था। अभी तक इसका उत्तर नहीं आया है।

MR. SPEAKER: There are a number of Calling Attention notices. We have been able to select only one per day.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: इसका उत्तर कब मिलेगा। अब तक तो यह आ जाना चाहिये था।

MR. SPEAKER: We have been selecting according to the importance we felt.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: इससे बड़ी इम्पोर्टेंस वाली बात और क्या हो सकती है। हरिजन लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, क्या यह इम्पार्टेंस का सवाल नहीं है? सब से बड़ा अगर इम्पार्टेंस का कोई सवाल है तो यही एक सवाल है। आप को इस पर अलग से विचार करना होगा और सरकार से इसका जवाब दिलवाना होगा।

MR. SPEAKER: I have considered all that.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STRIKE BY PHARMACISTS OF GOVERNMENT AND SEMI-GOVERNMENT DISPENSARIES IN DELHI

SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA (Rampur): Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

"The reported strike by Pharmacists of Government and semi-Government dispensaries in Delhi, causing great inconvenience to the public."

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मासिस्ट

6 नवम्बर, 1978 से हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी सहायता के लिए दिल्ली में केन्द्रीय सरकार तथा कुछेक अर्ध-सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के फार्मासिस्ट भी उनकी सहानुभूति में हड़ताल पर चले गये हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली के अस्पतालों और औषधालयों में आने वाले लोगों को कम से कम असुविधा हो, अस्पताल में दाखिल लोगों को दवाईयां देने तथा अस्पताल और औषधालयों में आने वाले सभी बहिरंग रोगियों को दवाईयां देने की उचित व्यवस्था कर दी गई हैं। उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के अनुभवी स्टाफ तथा इन्टर्नों की सेवाओं का उपयोग समुचित सुपरवीजन के अधीन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी इस बात की जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए वहां जाते रहे हैं कि दवाईयां देने के लिए जो प्रबन्ध किए गए हैं वे पर्याप्त और प्रभावकारी हैं अथवा नहीं। मैं स्वयं भी कुछेक औषधालयों में प्रबन्ध का निरीक्षण करने गया था।

सरकार की नौकरी कर रहे फार्मासिस्टों की मुख्य दो मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) 330—560 रुपये के वेतनमान को संशोधित करके 425—700 रु० तक बढ़ाना; और

(2) सेलेक्शन ग्रेड में भरे जाने वाले पदों की सख्या फार्मासिस्टों की काडर संख्या के 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करना।

28 सितम्बर, 1978 को जब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फार्मासिस्ट संघ से हड़ताल का नोटिस मिला उस दिन से लेकर अब तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संघ के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें हो चुकी हैं।

मैंने स्वयं भी संघ के प्रतिनिधियों के साथ लम्बी बातचीत की है। संघ को यह स्पष्ट किया गया था कि उनकी मांगों पर उन सभी संबंधित सरकारी संगठनों से परामर्श कर विचार करना होगा जिनमें फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जाती है और चूंकि उनकी दोनों मुख्य मांगें तृतीय वेतन आयोग की सुविचारित सिफारिशों से संबंधित हैं, इसलिए उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाएंगे।

फार्मासिस्टों के वर्तमान वेतनमान को संशोधित करके बढ़ाने से व्यापक प्रतिक्रियाएं होंगी और केवल स्वास्थ्य सेवा के ढांचे में ही नर्सों, तकनीशियनों आदि जैसे बहुत से कर्मचारी भी अपने अपने ऐसे ही दावे प्रस्तुत करने लग जायेंगे। इससे राज्य सरकारों, अर्ध-सरकारी, निगमों तथा स्थानीय निकायों में कार्य कर रहे फार्मासिस्ट भी इसी प्रकार की मांगें करने लगेंगे। अतः इस मांग के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हड़ताली संघ से मेरी व्यक्तिगत अपील पर ध्यान नहीं दिया है, खासकर तब जब कि उसकी दो मांगों पर विचार करने के लिए पहले ही तत्काल कदम उठाए जा चुके हैं।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को कोई ऐसी कठिनाई न आए जिससे कि बचा जा सकता हो, मैं हड़ताली कर्मचारियों की मागों पर विचार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। तथापि यह अनिवार्य है कि वे कार्य पर वापिस आ जाएं ताकि उचित वातावरण में आगे बातचीत की जा सके। इस दिशा में मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से उनके सहयोग और सहायता के लिए अपील करता हूं।

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

अपने कार्यालय में मैं वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर आया हूं जो कि उन से बातचीत कर रहे हैं और कह कर आया हूं कि बातचीत अगर फाइनल स्टेज पर आ जाए तो मैं बातचीत को समाप्त करने में सहयोग दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 6 नवम्बर से चली आ रही इस स्ट्राइक के द्वारा दिल्ली के लगभग 300 डिस्पेंसरीज और 7 अस्पतालों के अन्दर रोगियों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, दवायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, और उससे दिल्ली की 45 लाख जनता प्रभावित है। 2000 फार्मासिस्ट दिल्ली में काम करते हैं और 1328 लोग दिल्ली से बाहर रेलवे और डिफेंस सर्विसेज में हैं। इन 2,000 व्यक्तियों की पूर्ति के लिए उन्होंने अभी तक क्या व्यवस्था की है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के रोगियों को न तो समुचित उपचार मिल रहा है और न दवायें दी जा रही हैं। जहां तक जानकारी मिली है डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अन्दर एक दवाई के स्थान पर कई दिन तक दूसरी दवाई देते रहे जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं।

तृतीय पे कमीशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका स्केल 425—700 रु० रखा जायगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय पर उन लोगों को जानकारी न दिये जाने के कारण और सरकार तृतीय पे कमीशन पर लगातार दबाव डालती रही कि वह अपनी रिपोर्ट तुरन्त दे। मंत्रालय की ओर से पे कमीशन को जब इसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई कि यहां पर टेक्नीकल डिप्लोमा होल्डर्स हैं कि नहीं, उन्होंने यह निर्णय दिया कि इनको 330—560 के स्केल में रखा जाय। जब कि सच्चाई यह थी कि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बाद में यह सूचित किया गया कि इन लोगों को भी टेक्नीकल डिप्लोमा होल्डर ही माना जाता है। और इसके पूर्व डा० कर्णसिंह, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, फरवरी, 1974 में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि सिद्धान्ततः आप लोगों को 425—700 के स्केल में रखना है। क्या मंत्री जी इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं कि नहीं? यदि सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करते हैं तो 425—700 का स्केल देने में आपको क्या कठिनाई है? इसके अतिरिक्त अन्य विभागों की तरफ से भी, जैसे रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्रीज की ओर से यनियन्स के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हम लोगों को यह स्केल देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों की सेवायें स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं यदि वह निर्णय ले लें तो हम आपको तुरन्त यह स्केल दे देंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इन सब बातों के कारण 45 लाख दिल्ली की जनता कष्ट भोग रही है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से कहें यदि सिद्धान्ततः इसको स्वीकार करते हैं तो आज इसकी घोषणा होनी चाहिए और इस समस्या का समाधान होना चाहिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक रोगियों को हस्तपाल में दवा देने की व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैंने, 3—4 हस्पताल पहले भी देखे और आज भी देखे हैं। जितने रोगी पहले आ रहे थे, लगभग उतने ही रोगी अस्पतालों में हैं और आज भी उनको पूरी दवा व्यवस्था के साथ दी जा रही है। मैंने सभी सुपरिन्टेंडेंटों को बुलाकर पूछा है जो कि दवा देते हैं, प्रमुख अस्पतालों में जो रोगी पहले आते थे, और उनको दवा दी जाती थी, वह आज भी आते हैं और उनको दवा दी जा रही है। छोटी-मोटी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि फार्मासिस्ट हड़ताल पर हैं।

इन-डोर और आउट-डोर पेशेन्ट्स के लिए व्यवस्था कर दी है कि उचित दवा मिल जाये। अगर कोई अतिशयोक्ति न हो तो मैं यह कहूं, कि जो डाक्टर रोगियों को देखते थे, वह आज दवाओं का अपनी उपस्थिति में वितरण कर रहे हैं। मैंने कई रोगियों से पूछा है, उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए यह बेहतरीन तरीका है। इसका मतलब यह नहीं कि कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्था ठीक है। जैसे कि माननीय सदस्य ने आतंकपूर्ण वातावरण की बात कही थी, तो मैं कहना चाहता हूं कि आतंकपूर्ण वातावरण की कोई बात नहीं है, बल्कि काम ठीक ठीक चल रहा है, किसी भी रोगी को दवा के बिना इलाज में गड़बड़ हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री **राजेन्द्र कुमार शर्मा** : मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि उन प्रिंसिपल्स को आप एक्सैप्ट करते हैं या नहीं ? अगर करते हैं तो . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने अपने उत्तर में बताया कि मैंने उनसे बात की है जहां तक इसका प्रश्न है कि क्या कर सकते हैं, यह अलग बात है। जहां तक फाइनेन्स का इन्वाल्वमेंट है, वह मैंने पूरा चित्र दिया है। जब तक यह स्ट्राइक समाप्त करके न जायें, इस पर शान्तिपूर्ण तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। हम आज भी उनसे बात कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री **अनन्त राम जायसवाल** (फैजाबाद): मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि फार्मेसिस्टों की हड़ताल का यह मामला आज का नहीं है यह मामला फरवरी 1974 में उठा था। मांगें इनकी वही थीं जो आज हैं और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्ण सिंह जो इस वक्त यहां नहीं हैं के साथ एसोसिएशन के नुमाइन्दों की बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि चूंकि पे-कमीशन ने रिकमैंडेशन की हैं जो पे-स्केल रिकमेंड किये हैं इनको बढ़ाना है इसलिए यह मामला कैबिनेट में ले जायेंगे और उसके बाद यह 31 मार्च 1974 तक हल कर दिया जायेगा। तो यह आज नहीं बल्कि 4, 5 साल पहले उठा था और तब से अब तक यह मामला ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक हल नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब 1974 में यह मामला उठा था और इन लोगों को एश्योरेंस दी गई थी कि 31 मार्च 1974 तक इसमें सरकार का डिसीजन हो जायेगा तो आपके स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले को कैबिनेट में रखने की कोशिश की या नहीं ? अगर कोशिश की गई तो उस पर कैबिनेट का क्या डिसीजन हुआ ?

इसके अलावा 28 सितम्बर को इन लोगों ने नोटिस दी और 6 नवम्बर से हड़ताल चालू हो गई आप कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है किसी को कोई तकलीफ नहीं हैं लेकिन मैं परसनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि नार्थ एवेन्यु डिस्पैंसरी या लोकसभा की डिस्पैंसरी इसमें कहीं आप जाइये मैं खुद बीमार था मुझे खांसी की दवा की जरूरत थी वह मुझे नहीं मिल पाई। जब यहां यह हालत है तो दूसरे मरीजों को क्या दवा मिल रही होगी ? यह ब्यूरोक्रेट तरीका हैं कि कोई मसला उठे और उसका हल न निकालने के बाद उसको मुल्तवी कर दिया जाये।

1974 में यह मामला उठा मगर उस वक्त उसको हल नहीं किया गया। और आज मंत्री महोदय फिर कह रहे हैं कि इसको फिर मुल्तवी कर दिया जायेगा। नये नये शोशे छोड़ दिये जाते हैं। कहा जाता है कि रेलवे विभाग और फौज में भी कम्पाउंडर हैं उन की भी तन्ख्वाह बढ़ाने का सवाल उठाया जायेगा। अगर मंत्री महोदय इस मामले की पत्रावली को देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि तत्कालीन, रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी, और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जो कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय में तय कर

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

दिया जायेगा, वही हमारे यहां भी कर दिया दिया जायेगा। उन बातों को बार-बार उठाना, और समस्या के हल से भागना, सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। अगर मंत्री महोदय यह डेफिनट एश्योरेंस दें कि इस वक्त इस मामले को हल कर दिया जायेगा, तो मैं फार्मेसिस्ट्स की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वे अभी स्ट्राइक को खत्म करने को तैयार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1974 में यह मामला उठा, क्या उसके बाद इसे केबिनेट में रखा गया, और अगर रखा गया, तो केबिनेट का डिसिज़न क्या हुआ। जिन बातों के बारे में पहले से विचार चल रहा है, उनके बारे में देर की जरूरत नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस सदन में इस बारे में आश्वासन देगें या नहीं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: जहां तक 1974 का सवाल है, और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, डा० कर्णसिंह, का सवाल है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, वह आश्वासन उन्होंने दिया। लेकिन जो भी कठिनाई आई, जिसके कारण यह मामला कैबिनेट में गया या विदड्रा किया गया, लेकिन उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई।

श्री अनन्त राम जायसवाल: अगर मंत्री महोदय की जगह पर मैं होता तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वे शुड हैव बिन टेकन टू टास्क फार दिस। (व्यवधान)

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): All this trouble arises because there is no Cabinet Minister for Health.

MR. SPEAKER: Mr. Nair, this is a calling attention.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: But this is a very important matter.

MR. SPEAKER: This is a Calling Attention. Once I allow you, I have got to allow others also. You can raise this in other ways.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): We are not getting medicines. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Don't record. As far as Members of Parliament are concerned I shall try to.... (*Interruptions*)**

There are other occasions when you can raise it. Please answer the questions only. Mr. Jaiswal's questions only are going to be answered. He has put the questions. The Minister is answering them.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इसीलिए अपने जवाब के अन्त में कहा था कि अभी भी मेरे कार्यालय में इन के प्रतिनिधियों से बात चल रही है और हम पूरी कोशिश में हैं कि इन की बात का फैसला हम कर लें। वह वहां पर अभी भी बैठे हुए हैं और यहां से जाने के बाद हम यह कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना फैसला हम कर सकते हैं।

MR. SPEAKER: Members are complaining that they themselves are not getting medicines.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: श्रीमन्, राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी ने स्वयं जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि वह स्ट्राइक काल आफ कर लेंगे तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं। यह प्रधान मंत्री जी का राज्य सभा में जवाब था। तो हमने भी यह कहा और हम बात अभी तक कर रहे हैं। इसीलिए हम ने कहा कि साढ़े दस बजे से हमारी उन की बातें हो रही हैं और हम कोशिश में हैं कि उन की बातों के ऊपर जहां तक तरजीह दे सकते हैं वह दें और जो

**Not recorded.

फैसला ले सकते हैं वह लें। .... (व्यवधान) ....अभी हमें यह जानकारी मिली है कि रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी इस में इन्वाल्व्ड हैं और वह स्टिक करना चाहते हैं पे कमीशन की रिपोर्ट पर। तो हम तो अभी तक विचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं.... (व्यवधान)........

जहां तक यह सवाल किया जाता है कि पार्लियामेंट के बगल में जो डिस्पेंसरी है वहां दवाई नहीं दी जाती है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हड़ताल के पहले जो बीमारों की संख्या थी और उन को दवा देने की जो पालिसी थी वह पूरे तौर पर कायम है और मैं स्वयं अपने से जा कर देख आया हूं और रोगियों से भी पूछ ताछ कर के आया हूं कि दवा उन को ठीक से मिलती है या नहीं। अगर श्रीमन् कहें तो मैं अस्पताल-वाइज लिस्ट दे सकता हूं।

श्री अनन्त राम जायसवाल : प्वाइंट आफ आर्डर। मैंने कुछ सवाल किए हैं उन का कोई जवाब नहीं आया।

MR. SPEAKER: You have put the question and he has answered it.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: I have put a definite question and no answer has been given on that.

अध्यक्ष महोदय : क्या क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं आया ?

श्री अनन्त राम जायसवाल : जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह मामला कैबिनेट के डेसीशन से अभी तक वंचित रहा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जायगी या नहीं जिस की वजह से कि यह हड़ताल हुई ?

MR. SPEAKER: He has answered that it is the Cabinet that has not accepted it and not any officer.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: No, Sir, the Health Ministry gave assurance to the representatives of the pharmacists that this matter will be taken up to Cabinet.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : (बहराइच): मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है और यह आश्चर्य की बात भी है कि आजादी के बाद अब तक जो गवर्नमेंट यहां बनती रही उन की एक परम्परा रही है कि जब तक देश में स्ट्राइक न हो, देश की हानि न हो, तब तक सरकार कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक परम्परा बनी है और इस से देश की बड़ी हानि हुई है। फिर सरकार मानती है बाद में। मुझे आज यह जान कर आश्चर्य हुआ कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इसके पहले इन फार्मसिस्टों को और नर्सेज को टेक्निकल मान कर एक ही ग्रेड में और एक ही रूप में रखा था। थर्ड पे कमीशन के सामने सरकार ने धोखा दे कर के उन फार्मसिस्ट्स के केस को टेक्निकल रूप में नहीं रखा। 1973-74 में सरकार ने धोखा देकर उन के बारे में इस प्रकार का निर्णय पे कमीशन से ले लिया जिस से कि यू डी सी के रूप में आए हालांकि वह टेक्निकल थे। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने सिद्धांततः इस बात को स्वीकार किया और यह आश्वासन दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय जो यहां आश्वासन देते हैं उन का कोई मूल्य है या नहीं? अभी मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि भूतपूर्व गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री ने इन की बातों को स्वीकार किया और कहा कि मैं कैबिनेट में स्वीकार कराऊंगा। तो जब एक बार आश्वासन पहले गवर्नमेंट दे चुकी है तो इन का काम है उस को क्रियात्मक रूप देना। मैं जानना चाहता हूं कि बात किस बात पर आप कर रहे हैं? एक बार उनको आश्वासन मिल चुका है कि उनकी मांगों की पूर्ति होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि अब कौन से इश्यु पर बात हो रही है ?

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

जब एक बार एक गवर्नमेन्ट स्वीकार कर चुकी है तब उसके बाद यह कहा जाता है कि कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त करने का आपने कोई प्रयत्न किया या नहीं ? अगर नहीं किया है तो कब करेंगे ? भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया हुआ है उसके सम्बन्ध में आप फिर से घोषित कीजिए कि हम उस आश्वासन को स्वीकार करते हैं और कैबिनेट के द्वारा उसकी पूर्ति करायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत इंफार्मेशन दी है । डिफेन्स मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री से यह बात इनके पास आ गई है लिखकर कि हैल्थ मिनिस्ट्री जो शर्तें स्वीकार कर लेगी वही शर्तें हमारे फार्मेसिस्टों पर भी लागू होंगी । इनके पीछे जो ब्यूरोक्रैट्स बैठे हैं वे मिसलीड करते हैं मंत्रियों को । बिल्कुल गलत इंफार्मेशन आई है इनके पास । (व्यवधान) मंत्री महोदय से मेरा सीधा सवाल है कि पहली सरकार ने जो आश्वासन दिया था क्या आप उस आश्वासन का समर्थन करते हैं या नहीं और उसको क्रियात्मक रूप देने का आश्वासन दे रहे हैं या नहीं ?

इसके अलावा इन फार्मेसिस्टों को हर साल रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है इसलिए क्या सरकार फार्मेसिस्ट्स ऐक्ट में परिवर्तन करके इस ह्यूमिलिएटिंग क्लास को समाप्त करायेंगे या नहीं ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की एंग्जायटी को समझ रहा हूं और इस एंग्जायटी को दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी: अध्यक्ष महोदय, ये टाल रहे हैं ।

MR. SPEAKER: Please allow him to answer it. You don't allow him to answer it.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक पिछले मंत्री के आश्वासन का सवाल है उन्होंने आश्वासन देकर, जैसा कि आपने भी कहा, कैबिनेट में ले गए थे लेकिन पारित नहीं करा सके ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, यह आपने कहा या इन्होंने कहा ? यह इंफार्मेशन गलत है ।

MR. SPEAKER: Why don't you allow him to answer? You must allow him to answer.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यह कैबिनेट में नहीं गए ।

MR. SPEAKER: There are other procedures for it.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं जानना चाहूंगा कौन सी डेट को कैबिनेट में रखा गया ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हमने तो कैबिनेट में सवाल रखा नहीं । पिछले मंत्री जो कांग्रेस के थे उनके बारे में कहा गया है । (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have only to accept his statement. Nothing more than that.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आप हिन्दी सही समझे नहीं ।

MR. SPEAKER: I can understand Hindi. But you are saying the same thing over and over again.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने कभी नहीं कहा कि कैबिनेट में रखा है । डा० कर्ण सिंह जी ने आश्वासन दिया था । (व्यवधान) माननीय सदस्य ने भी उसका जिक्र किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उनसे बात अभी भी कर रहा हूं । जहां तक फाइनेंशियल इंवाल्वमेन्ट की बात है वह सारी स्टेट्स और सेमी गवर्नमेन्ट संस्थाओं से संबंधित है, उसको

सोचकर देखना होगा। जहां तक सेलेक्शन ग्रेड दस परसेंट से बीस परसट करने की बात है, हमने उनसे भी बातचीत में कहा था कि इसको हम मनवा लेंगे। इसके बाद आगे वाली जो बातें हैं उनके लिए प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अगर स्ट्राइक वापिस ले लेते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे। सेलेक्शन ग्रेड दस से बीस परसेंट करने की बात को हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में ले जाकर स्वीकार करा लिया है। इसके अलावा जहां तक और बातों का सवाल है, जब तक शांति पूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत नहीं होती है तब तक हम क्या आश्वासन दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है--हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो हम से बड़े हैं, जो इस सरकार के सर्वोच्च नेता हैं, कहा है कि ये लोग हड़ताल वापस लें तो वे उस पर भी विचार करेंगे। इस से ज्यादा आश्वासन हम क्या दे सकते हैं।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Speaker, Sir, the present Government is run by apologies and alibis. It is most unfortunate that the statement of the hon. Minister does not convey any sympathies for the striking pharmacist and he does not seem to have any interest in so far as the health of the public is concerned. As you know, Sir, there is no Health Minister as also the Home Minister for the last several months and, therefore, these Ministries are not functioning as they should. There is no popular Government in the Centre.... (*Interruptions*) This is the unfortunate situation. The butt-end of the bureaucracy is crushing down the popular views of the public today. Shri Morarji Desai is a divinely person, but how can he attend to the work of the Home Ministry and the Health Ministry also? The result is that the health of the nation is deteriorating.

The hon. Minister has come out with a statement that in 1974, the demands of the pharmacists were conceded by Dr. Karan Singh, the then Health Minister and he.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order, order. In all calling-attentions, I allow everybody to make some preliminary remarks.

SHRI K. LAKKAPPA: The statement of the hon. Minister is very bold and it does not indicate anything. According to him, the 1974 demands which were conceded by Dr. Karan Singh were taken to the government but these were rejected. The demands of the pharmacists are very simple and the financial implications are to the tune of Rs. ten lakhs only. These people serve day and night and unless they cooperate with the doctors, the work cannot go on; the health of the ailing patients cannot be looked after carefully. The hon. Minister has stated that he has visited several hospitals and the work is going on without much difficulty. The fact is that many hospitals are virtually not functioning, no x-rays are taken, no medicine is supplied, no medicine is compounded, and the service conditions are not at all good. Even beds for the patients are not available in some hospitals and they have to wait.... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Please come to the question.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, the hon. Minister cannot be allowed to state something which is false. Parliament is supreme and he is bluffing it.

As I said, the financial implications in meeting the demands of the pharmacists are only ten lakhs.

MR. SPEAKER: Mr. Lakkappa, please come to the question.

SHRI K. LAKKAPPA: The financial implications are only Rs. 10 lakhs.

श्री उग्रसेन : (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या ये मंत्री जी को यह कह सकते हैं कि वे ब्लफ कर रहे हैं ?

SHRI K. LAKKAPPA: Pharmacists are there in the Railway Ministry. I will read for your benefit....

MR. SPEAKER: What is your question?

SHRI K. LAKKAPPA: He has stated that pharmacists are also working in the Defence and Railway Ministries. Those Ministries are not cooperating. I will read out this Government order....

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : उन्होंने कहा है कि ये ब्लफ कर रहे हैं। क्या ये मंत्री जी को यह कह सकते हैं कि वे ब्लफ कर रहे हैं? (व्यवधान) क्या ब्लफ शब्द अनपार्लियामेंटरी है या नहीं? (व्यवधान) आप मेरी बात का तो जवाब दें कि यह अनपार्लियामेंटरी है या नहीं?

MR. SPEAKER: There is no point of order. Mr. Lakkappa, please come to the question.

SHRI K. LAKKAPPA: My question is that the Health Minister has stated that the Defence and Railway Ministries are not cooperating. The reply given by the Health Minister concerns the services of the pharmacists. Those Ministries say that if the Health Ministry concedes, they have no objection to conceding the demands.

MR. SPEAKER: Please come to the question.

SHRI K. LAKKAPPA: They have conceded. The demands having been conceded by the Health Ministry, and by the Ministries of Railways and Defence, the Minister has no option but to concede the demands of the pharmacists. Why is he going back, inspite of the recommendations given by the Railway and Defence Ministries? This is one point in my question. The second point is: the Finance Ministry has given due consideration, because the financial involvement is only Rs. 10 lakhs; and the essential services rendered by these people should be considered as of paramount importance, since they relate to public health.

I do not want to hear from the Minister any *alibis* or any excuses. Will he concede the genuine, popular demands of the pharmacists by a particular point of time? Otherwise, I would like to grill this Ministry because (*Interruptions*) I want to know....

MR. SPEAKER: No; you have put the question. You have mentioned it.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् इन्होंने कोई सवाल नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में पिछली सरकार का जो बेकलाग पड़ा हुआ था जिस से परिवार कल्याण के काम को धक्का लगा और मलेरिया को भी यहां पर आने का मौका मिला....उसके बारे में कदम उठाये गये हैं।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you have to answer only two questions.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि लकप्पासाहब को छटपटी है और वे कभी इधर की और कभी उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आदर और सत्कार के साथ कहना चाहता हूं कि आज तक जो हमारे समूचे देश की 80 परसेंट आबादी उपेक्षित रही है और जिसके बारे में आज तक विचार नहीं किया गया, उसके बारे में, बड़े पैमाने पर चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं देने के बारे में हमने कदम उठाये हैं। बाकि मैं पहले ही बता चुका हूं।

SHRI K. LAKKAPPA: It is an evasive reply.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA (Faridkot): On the one hand the hon. Minister says that Delhi and surrounding areas are facing difficulty; but on the other hand it has been stated outside that the pharmacists went

on strike, locking the stocks of medicine. The hon. Minister says that there is no problem of medicine to be given to the patients but it hits the people hard when stocks have been locked. If the people who were on strike were considered as U.D.Cs. did the Minister go through the curriculum of those people and find whether they are technical or clerical? I do not want to be a part of the controversy. My friend should not have said that this is not a government; it is a government; it is the government of the people. If Mr. Lakkappa says that only that Health Ministry is the Ministry and only that Health Minister is the Health Minister whose Health Ministry wants from all persons a certificate of compulsory sterilisation, then we are not going to become that kind of government. I want to ask the hon. Minister: will you kindly assure the House that you will not victimise those people who have gone on strike? People are afraid of victimisation. Will the hon. Minister kindly tell the House whether before the pharmacists resorted to strike they approached him and he tried to avoid the strike. I want him to tell us the negotiations that had taken place between him and the striking people before going on strike. I hope he will be sympathetic and declare that he will not victimise them once the strike is finished.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक पे कमिशन का सवाल है इस सवाल को हमने नहीं लाया था और न ही हमारी सरकार उस समय अस्तित्व में थी। उसने यह फैसला नहीं किया था कि पे कमिशन के सामने क्या रिप्रिजेंट करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। पे कमिशन ने एक रिपोर्ट दे दी और यह समझा गया कि शायद फार्मेसिस्टों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जहां तक सिलेक्शन ग्रेड की बात थी दस परसट से बढ़ा कर बीस परसट हम इसी महीने के भीतर करा लगे। वह हम ने करा लिया है।

जहां तक दूसरी मांग का सम्बन्ध है मैं पहले कह चुका हूं कि प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा में कह दिया है कि अगर वे हड़ताल वापिस ले लें तो हम इस पर विचार करेंगे। इससे ज्यादा वजन वाली बात और क्या हो सकती है।

जहां तक विक्टिमाइजेशन का सवाल है आज भी मैं कह रहा हूं कि उनको विक्टिमाइज करने की बात हमारे मन में बिल्कुल नहीं है, हम ने उनको विक्टिमाइज करने की बात सोची भी नहीं है। इस वास्ते कोई विक्टिमाइजेशन की बात नहीं है।

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBERS

[BY SHRI RAM VILAS PASWAN AND SHRI VASANT SATHE]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : विभिन्न समाचारपत्रों में मेरे संबंध में समस्तीपुर उपचुनाव से सम्बन्धित जो खबर छपी है वे बुनियाद एवं अपमानजनक है तथा घटना का विवरण निम्न प्रकार है :

"मैं 26 नवम्बर, 1978 को मतदान के दिन सर्वप्रथम वरबना बूथ पर मैं गया। वहां के संबंध में मुझे जानकारी मिली थी कि जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस (आई) के लोगों द्वारा मारपीट कर भगा दिया गया है तथा वोटर लिस्ट छीन लिया गया है। मेरे पहुंचने के पहले ही वहां सी० आई० डी० डी० आई० जी० श्री जी० नारायण पहुंचे हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वहां पुनः किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। उसके बाद साढ़े दस बजे करीब सरायरंजन प्रखण्ड के सलेमपुर बूथ पर मैं गया। मेरे साथ दोनों जगहों पर बिहार सरकार के मंत्री श्री मोहन राम तथा उनके अंगरक्षक थे। वहां के